झारखण्ड सरकार

कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग

(मत्स्य प्रभाग)

सं0सं0-म0नि0-II-उ0यो0-53/2017-18/ 49 रा0 (विभाग) /मत्स्य, राँची, दिनांक 04/12/2018

प्रेषक,

पूजा सिंघल, भा.प्र.से.
सरकार के सचिव।

सेवा में,

*अनौपचारिक रुप से परामर्शित

महालेखाकार,
झारखण्ड, राँची।

द्वारा:- आन्तरिक वित्तीय सलाहकार*।

विषय- चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में राज्य योजनांतर्गत मत्स्य विपणन योजना के तहत् बजट शीर्ष 2405-मछली पालन अन्तर्गत उपबंधित राशि मो0 250.00 लाख (दो करोड़ पचास लाख) रू0 मात्र के अनुमानित लागत पर योजना एवं व्यय की स्वीकृति।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबन्ध में कहना है कि विभागीय राज्यादेश सं0-14 रा0 (विभाग) दिनांक 18.12.2017 तथा ऑनलाईन राज्यादेश सं0 1718 एवं 1719 दिनांक 13.12.2017 के क्रम में राज्य सरकार द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में बजट शीर्ष -2405-मछली पालन अन्तर्गत उपबंधित राशि मो0 250.00 लाख (दो करोड़ पचास लाख) रू0 मात्र के अनुमानित व्यय पर राज्य योजना में मत्स्य विपणन योजना की स्वीकृति प्रदान की गई है। इस योजना का उद्देश्य मत्स्य विक्रेताओं को चिन्हित कर हाइजेनिक कंडिशन में मछलियों के विपणन हेतु उपकरण एवं विपणन/परिवहन इकाई के रुप में अनुदान पर मोबाईल फिश रिटेलिंग कियोस्क, ऑटो-रिक्शा, ई-रिक्शा, पिक-अप वैन तथा स्टॉल उपलब्ध कराने की योजना है।

2. स्वीकृत राशि का व्यय निम्न मुख्य शीर्ष के लघु शीर्षों में स्वीकृत बजट उपबंध के अंतर्गत किया जायेगा जिसके लिए समुचित योजना उद्व्यय एवं बजट उपबन्ध प्राप्त है : (राशि लाख रू0 में)

(क) माँग सं0-53-कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग)-मुख्य शीर्ष-2405-मछली पालन

क0	मद एवं विपत्र कोड	स्वीकृत बजट उपबंध	स्वीकृत राशि	शेष राशि
1	2	3	4	5
1	लघु शीर्ष-101-अन्तर्देशीय मछली पालन-उप शीर्ष-50-मत्स्य विपणन योजना-विस्तृत शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय-23-आपूर्ति एवं सामग्री **53 S240500101500323**	100.00	100.00	शून्य
2	लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-उप शीर्ष-50-मत्स्य विपणन योजना-विस्तृत शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय-23-आपूर्ति एवं सामग्री **53 S240500796500323**	100.00	100.00	शून्य
3	लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना-उप शीर्ष-50-मत्स्य विपणन योजना-विस्तृत शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय-23-आपूर्ति एवं सामग्री **53 S240500789500323**	50.00	50.00	शून्य
	योग :	250.00	250.00	शून्य

मो0 दो करोड़ पचास लाख रुपये मात्र।

3. इस योजना में शहरी क्षेत्रों में मछली बेचने वाले मत्स्य विक्रेताओं को हाइजेनिक कंडिशन में मछलियों के प्रसंस्करण/विपणन/परिवहन इकाई हेतु अनुदान पर आवश्यकता अनुसार मोबाईल फिश रिटेलिंग कियोस्क, ऑटो-रिक्शा, ई-रिक्शा, पिक-अप वैन, स्टॉल एवं विपणन हेतु अन्य आवश्यक उपकरण दिए जायेंगे।

4. निदेशक मत्स्य द्वारा निदेशालय स्तर पर इस प्रयोजनार्थ गठित कमिटी द्वारा जिला मत्स्य पदाधिकारी से प्राप्त/अनुशंसित ऑटो-रिक्शा, ई-रिक्शा, पिक-अप वैन, स्टॉल के प्रस्तुत फोटोग्राफ एवं स्पेशिफिकेशन आदि के आधार पर उपयुक्त मॉडल की स्वीकृति प्रदान की जायेगी। खुदरा मत्स्य विक्रेताओं को दिये जाने वाले उपकरणों का मॉडल अनुमोदन भी इस कमिटि द्वारा ही किया जायेगा।

5. (क) शहरी क्षेत्र के मत्स्य विक्रेताओं/झास्कोफिश को उनकी आवश्यकतानुसार मत्स्य विपणन हेतु मोबाईल फिश रिटेलिंग कियोस्क (लगभग 3-4 टन क्षमता के पिक-अप वैन के उपर फैब्रिकेटेड) दिया जायेगा, जिसका अधिकतम मूल्य मो0 10.00 लाख रू0 मात्र होगा। इसमें लाभुक का अंशदान कुल लागत में 40 प्रतिशत होगा।

(ख) मत्स्य विक्रेताओं/झास्कोफिश को उनकी आवश्यकतानुसार मत्स्य विपणन हेतु ऑटो-रिक्शा (लगभग 1.0 टन क्षमता), ई-रिक्शा (लगभग 400-500 कि0 ग्रा0 क्षमता) एवं पिक-अप वैन (लगभग 3-4 टन क्षमता) अनुदान पर दिया जायगा।

ऑटो-रिक्शा में लाभुक का न्यूनतम अंशदान 40 प्रतिशत तथा विभागीय अनुदान अधिकतम 1.80 लाख रू0 प्रति होंगे।

पिक-अप वैन हेतु भी लाभुक का न्यूनतम अंशदान 40 प्रतिशत तथा विभागीय अनुदान अधिकतम 3.60 लाख रू0 प्रति होंगे।

ई-रिक्शा में रिमॉडलिंग के व्यय सहित लाभुक का अंशदान न्यूनतम 20 प्रतिशत होगा तथा विभागीय अनुदान अधिकतम 1.60 लाख रू0 प्रति होंगे। विपणन हेतु अनुदान पर दिये जाने वाले सभी वाहनों के निबंधन एवं बीमा का व्ययभार लाभुक को स्वयं वहन करना होगा। स्टॉल एवं अन्य उपकरणों का कय भी लाभुक द्वारा किया जायेगा।

(ग) शहरी क्षेत्र के (प्रखण्ड स्तर तक) मत्स्य विक्रेताओं को उनकी आवश्यकतानुसार मत्स्य विपणन हेतु स्टॉल दिया जायेगा, जिसका अधिकतम मूल्य मो0 40,000/-रु0 मात्र होगा। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/दिव्यांग कोटि के लाभुक का अंशदान कुल लागत में 5 प्रतिशत तथा अन्य कोटि के लाभुकों का 10 प्रतिशत होगा।

(घ) खुदरा मत्स्य विक्रेताओं को अधिकतम 5,000/-रु0 मूल्य के उपकरण अनुदान पर देय होंगे जिनमें लाभुक का अंशदान 5 प्रतिशत होगा।

6. सुयोग्य लाभुकों के चयन एवं योजना की Feasibility की पूरी जिम्मेवारी संबंधित जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी/जिला मत्स्य पदाधिकारी की होगी।

7. लाभुकों का चयन जिला स्तर पर इस प्रयोजनार्थ गठित समिति के द्वारा किया जायेगा। इस समिति में निम्न सदस्य होंगें -

(i) जिला मत्स्य पदाधिकारी - सह - मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी/जिला मत्स्य पदाधिकारी

(ii) जिला पशुपालन पदाधिकारी

(iii) जिला गव्य विकास पदाधिकारी

(iv) सुरक्षित जमा निर्धारण समिति हेतु मत्स्यजीवी सहयोग समितियों के सरकार द्वारा मनोनित प्रतिनिधि

(v) सुरक्षित जमा निर्धारण समिति हेतु प्रगतिशील मत्स्य पालकों के सरकार द्वारा मनोनित प्रतिनिधि
(vi) जिले के वरीयतम मत्स्य प्रसार पदाधिकारी/मत्स्य प्रसार पर्यवेक्षक - सदस्य सचिव

लाभुकों के चयन के कम में यह सुनिश्चित हो लिया जाय कि एक ही लाभुक के लिये योजना का दोहरीकरण नहीं हो। साथ ही चयनित लाभुकों की सूची पर संबंधित जिले के उपायुक्त का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।

8. मत्स्य लाभुकों/विक्रेताओं का चयन निम्न आधार पर किया जाएगा-
(i) संबन्धित जिले के मत्स्य प्रसार पदाधिकारी/पर्यवेक्षक द्वारा लिखित रूप में प्रतिवेदित किया जायेगा कि आवेदक मत्स्य बिक्री अथवा थोक व्यापार से जुड़ा है।
(ii) आवेदक मत्स्यजीवी सहयोग समिति का सदस्य हो।
(iii) आवेदक को असैनिक शल्य चिकित्सक द्वारा निर्गत दिव्यांगता का प्रमाण पत्र हो।
(iv) आवेदक मत्स्य विपणन कार्य हेतु विशेष रूप से प्रशिक्षित हो।
(vi) आवेदक महिला समूह का सदस्य हो अथवा महिला समूह द्वारा आवेदन किया गया हो।

उपर्युक्त किसी कोटि से आच्छादित आवेदक, आवेदन देने हेतु योग्य होगा बशर्तें अपने अंशदान की राशि लगाने में सक्षम हो।

9. जिला मत्स्य पदाधिकारी द्वारा अपने जिले के लिये इस योजना के लाभुकों की पंजी संधारित कर उसमें दर्ज लाभुक के कमांक एवं विभाग तथा योजना का नाम को स्टॉल तथा वाहनों पर दर्ज कराया जायेगा। नगर-निगम/नगर-पालिका/जिला परिवहन कार्यालय से स्टॉल/वाहन का निबंधन कराने एवं निर्धारित कर/शुल्क जमा करने की जिम्मेवारी लाभुक की होगी। निबंधन अथवा नगरपालिका का कर आदि का भुगतान लाभुक द्वारा किया जायेगा।

10. जिलावार निर्धारित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य परिशिष्ट 'I', 'II' एवं 'III' के रुप में संलग्न है। जिलावार भौतिक लक्ष्यों में आंशिक परिवर्तन निदेशक मत्स्य के प्रस्ताव पर विभागीय सचिव द्वारा किया जा सकेगा।

11. योजना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी निदेशक मत्स्य, जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी (सभी) तथा जिला मत्स्य पदाधिकारी (सभी) होंगे, जो दिये गये भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य (संलग्न परिशिष्ट 'I', 'II' एवं 'III') के अनुरुप राशि की निकासी दिये गये आवंटन के अंतर्गत संबंधित कोषागार से करेंगे।

12. राज्य स्तर पर नियंत्री पदाधिकारी निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, राँची होंगे, जो सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड के सर्वोच्च नियंत्रण अंतर्गत समस्त दायित्वों का निर्वहन करेंगे।

13. राशि का व्यय उपलब्ध बजट उपबंध के अन्तर्गत स्वीकृत मदों में दर्शायी गई राशि की अधिसीमा में की जाएगी। वित्तीय वर्ष 2017-18 के वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धियों पर संतुष्ट होने के उपरान्त ही निदेशक मत्स्य द्वारा आवंटन निर्गत किया जाएगा।

14. स्वीकृत राशि का व्यय प्राप्त आवंटन, वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश पत्रांक-2561 दिनांक 17.04.98 द्वारा निरुपित प्रावधानों का दृढ़ता से अनुपालन करते हुए तथा वित्तीय नियमावली व कोषागार संहिता के सुसंगत नियमों एवं वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत परिपत्रों के आलोक में की जायेगी।

15. उक्त स्वीकृत्यादेश मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग की अधिसूचना सं0-सी0एस0-2/आर0-01-2005-302 दिनांक 11.03.2015 के द्वारा प्रदत्त वित्तीय शक्ति के आलोक में निर्गत किया जाता है।

16. यह पूर्णतः राज्य योजना है।

17. इस योजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में स्वीकृत बजट मो0 600.00 लाख में से मो0 196.91 लाख रु0 मात्र का व्यय स्वीकृत कार्य हेतु किया गया है।

18. इस योजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में अग्रिम निकासी नहीं की गई है।

19. विषयगत् योजना अंतर्गत सामगियों के क्रय में योजना-सह-वित्त विभाग (वित्त प्रभाग) द्वारा स्थापित प्रक्रिया/नियमों का सुदृढ़तापूर्वक अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

20. स्वीकृत्यादेश प्रारुप में विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

विश्वासभाजन

03/12/18

(पूजा सिंघल)

सरकार के सचिव

ज्ञापांक 49 रा० (विभाग) मत्स्य / राँची, दिनांक 04/12/2018

प्रतिलिपि : अनुलग्नक सहित सभी कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3/12/18

सरकार के सचिव

ज्ञापांक 49 रा० (विभाग) मत्स्य / राँची, दिनांक 04/12/2018

प्रतिलिपि : अनुलग्नक सहित निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, राँची/संयुक्त मत्स्य निदेशक/उप मत्स्य निदेशक (जलाशय)/मुख्य अनुदेशक, मत्स्य किसान प्रशिक्षण केन्द्र, राँची/जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी (सभी)/जिला मत्स्य पदाधिकारी (सभी)/जिला पशुपालन पदाधिकारी तथा जिला गव्य विकास पदाधिकारी (सभी) को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3/12/18

सरकार के सचिव

ज्ञापांक 49 रा० (विभाग) मत्स्य / राँची, दिनांक 04/12/2018

प्रतिलिपि : अनुलग्नक सहित योजना-सह-वित्त विभाग (बजट शाखा, वित्त, प्रभाग) झारखण्ड, राँची/ विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त एवं उप विकास आयुक्त को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3/12/18

सरकार के सचिव

ज्ञापांक 49 रा० (विभाग) मत्स्य / राँची, दिनांक 04/12/2018

प्रतिलिपि : माननीय विभागीय मंत्री जी के आप्त सचिव/मुख्य सचिव एवं विकास आयुक्त, झारखण्ड, राँची के सचिव तथा सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

3/12/18

सरकार के सचिव

परिशिष्ट 'I'

वित्तीय वर्ष 2018-19 में मत्स्य विपणन योजना अंतर्गत लघु शीर्ष-101-अन्तर्देशीय मछली पालन में जिलावार भौतिक लक्ष्य (सं0 में) एवं वित्तीय लक्ष्य (लाख रू0 में)

क्र0	जिला का नाम	मुख्य शीर्ष-2405-मछली पालन-उप शीर्ष-50-मत्स्य विपणन योजना-विस्तृत शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय-23-आपूर्ति एवं सामग्री												कुल वित्तीय लक्ष्य
		मोबाईल फिश रिटेलिंग कियोस्क हेतु अनुदान (60%)		मछली परिवहन हेतु ऑटो-रिक्शा के लिये अनुदान (60%)		मछली परिवहन हेतु ई-रिक्शा के लिये अनुदान (80%)		मछली परिवहन हेतु पिक-अप वैन के लिये अनुदान (60%)		मत्स्य विपणन स्टॉल/ठेला के लिये अनुदान		खुदरा मत्स्य विक्रेताओं की सं0	खुदरा मत्स्य विक्रेताओं को अनुदान पर उपकरण	
		भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	हजारीबाग	3	18.00	1	1.80	2	3.20	1	3.60	2	0.76	5	0.2375	27.5975
2	रामगढ़	0	0.00	1	1.80	1	1.60	0	0.00	2	0.76	5	0.2375	4.3975
3	कोडरमा	0	0.00	1	1.80	0	0.00	1	3.60	2	0.76	5	0.2375	6.3975
4	बोकारो	1	6.00	1	1.80	2	3.20	1	3.60	2	0.76	0	0.0000	15.3600
5	धनबाद	1	6.00	0	0.00	2	3.20	1	3.60	2	0.76	0	0.0000	13.5600
6	चतरा	0	0.00	1	1.80	1	1.60	0	0.00	2	0.76	0	0.0000	4.1600
7	गिरिडीह	0	0.00	0	0.00	1	1.60	0	0.00	2	0.76	0	0.0000	2.3600
8	देवघर	1	6.00	2	3.60	2	3.20	1	3.60	14	5.32	30	1.4550	23.1750
9	गोड्डा	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	0.76	5	0.2375	0.9975
10	पलामू	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	0.76	5	0.2375	0.9975
11	गढवा	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	0.76	5	0.2375	0.9975
	उप योग	6	36.00	7	12.60	11	17.60	5	18.00	34	12.92	60	2.8500	100.0000

(कुल मो0 एक करोड़ रू0 मात्र)

नोट - वित्तीय लक्ष्य को आवंटन नहीं समझें।

3/5/18

(पूजा सिंघल)
सरकार के सचिव

परिशिष्ट 'II'

वित्तीय वर्ष 2018-19 में मत्स्य विपणन योजना अंतर्गत लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उप योजना में जिलावार भौतिक लक्ष्य (सं0 में) एवं वित्तीय लक्ष्य (लाख रू0 में)

क्र0	जिला का नाम	मुख्य शीर्ष-2405-मछली पालन-उप शीर्ष-50-मत्स्य विपणन योजना-विस्तृत शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय-23-आपूर्ति एवं सामग्री												कुल वित्तीय लक्ष्य
		मोबाईल फिश रिटेलिंग कियोस्क हेतु अनुदान (60%)		मछली परिवहन हेतु ऑटो-रिक्शा के लिये अनुदान (60%)		मछली परिवहन हेतु ई-रिक्शा के लिये अनुदान (80%)		मछली परिवहन हेतु पिक-अप वैन के लिये अनुदान (60%)		मत्स्य विपणन स्टॉल/ठेला के लिये अनुदान		खुदरा मत्स्य विक्रेताओं की सं0	खुदरा मत्स्य विक्रेताओं को अनुदान पर उपकरण	
		भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	राँची	2	12.00	2	3.60	1	1.60	1	3.60	3	1.140	10	0.475	22.415
2	खूंटी	0	0.00	2	3.60	0	0.00	0	0.00	0	0.000	5	0.238	3.838
3	गुमला	0	0.00	1	1.80	1	1.60	0	0.00	2	0.760	5	0.238	4.398
4	सिमडेगा	0	0.00	0	0.00	1	1.60	0	0.00	2	0.760	10	0.475	2.835
5	लोहरदगा	0	0.00	1	1.80	1	1.60	0	0.00	1	0.380	5	0.238	4.018
6	लातेहार	1	6.00	1	1.80	1	1.60	0	0.00	2	0.760	5	0.238	10.398
7	जमशेदपुर	1	6.00	2	3.60	2	3.20	0	0.00	2	0.760	10	0.475	14.035
8	चाईबासा	0	0.00	1	1.80	2	3.20	1	3.60	2	0.760	13	0.637	9.997
9	सरायकेला	0	0.00	1	1.80	2	3.20	1	3.60	2	0.760	5	0.238	9.598
10	दुमका	1	6.00	1	1.80	1	1.60	0	0.00	0	0.000	5	0.238	9.638
11	जामताड़ा	0	0.00	0	0.00	1	1.60	0	0.00	2	0.760	10	0.475	2.835
12	साहेबगंज	0	0.00	0	0.00	1	1.60	0	0.00	2	0.760	5	0.238	2.598
13	पाकुड़	0	0.00	1	1.80	1	1.60	0	0.00	0	0.000	0	0.000	3.400
	उप योग	**5**	**30.00**	**13**	**23.40**	**15**	**24.00**	**3**	**10.80**	**20**	**7.600**	**88**	**4.200**	**100.000**

(कुल मो0 एक करोड़ रू0 मात्र)

नोट - वित्तीय लक्ष्य को आवंटन नहीं समझें।

(पूजा सिंघल)
सरकार के सचिव

परिशिष्ट-'III'

वित्तीय वर्ष 2018-19 में मत्स्य विपणन योजना अंतर्गत लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना में जिलावार भौतिक लक्ष्य (सं0 में) एवं वित्तीय लक्ष्य (लाख रु0 में)

क्र0	जिला का नाम	मुख्य शीर्ष-2405-मछली पालन-उप शीर्ष-50-मत्स्य विपणन योजना-विस्तृत शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय-23-आपूर्ति एवं सामग्री								कुल वित्तीय लक्ष्य
		मछली परिवहन हेतु ऑटो-रिक्शा के लिये अनुदान (60%)		मछली परिवहन हेतु ई-रिक्शा के लिये अनुदान (80%)		मत्स्य विपणन स्टॉल/ठेला के लिये अनुदान		खुदरा मत्स्य विक्रेताओं की सं0	खुदरा मत्स्य विक्रेताओं को अनुदान पर उपकरण	
		भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	रॉची	0	0.00	1	1.60	2	0.76	5	0.238	2.598
2	खूंटी	1	1.80	1	1.60	0	0.00	5	0.238	3.638
3	गुमला	0	0.00	1	1.60	0	0.00	5	0.238	1.838
4	सिमडेगा	0	0.00	0	0.00	0	0.00	5	0.238	0.238
5	लोहरदगा	0	0.00	0	0.00	1	0.38	5	0.238	0.618
6	पलामू	1	1.80	1	1.60	2	0.76	5	0.238	4.398
7	लातेहार	1	1.80	0	0.00	1	0.38	5	0.238	2.418
8	गढवा	1	1.80	1	1.60	2	0.76	5	0.238	4.398
9	जमशेदपुर	0	0.00	0	0.00	1	0.38	5	0.238	0.618
10	चाईबासा	0	0.00	0	0.00	0	0.00	5	0.238	0.238
11	सरायकेला	0	0.00	0	0.00	1	0.38	6	0.297	0.677
12	हजारीबाग	1	1.80	0	0.00	2	0.76	0	0.000	2.560
13	रामगढ़	1	1.80	1	1.60	2	0.76	0	0.000	4.160
14	कोडरमा	1	1.80	2	3.20	1	0.38	0	0.000	5.380
15	बोकारो	1	1.80	1	1.60	1	0.38	0	0.000	3.780
16	धनबाद	2	3.60	1	1.60	2	0.76	0	0.000	5.960
17	चतरा	1	1.80	1	1.60	1	0.38	0	0.000	3.780
18	गिरिडीह	0	0.00	0	0.00	1	0.38	0	0.000	0.380
19	देवघर	0	0.00	0	0.00	2	0.76	5	0.238	0.998
20	दुमका	0	0.00	0	0.00	0	0.00	5	0.238	0.238
21	जामताड़ा	0	0.00	0	0.00	0	0.00	5	0.238	0.238
22	साहेबगंज	0	0.00	0	0.00	0	0.00	5	0.238	0.238
23	पाकुड़	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.000	0.000
24	गोड्डा	0	0.00	0	0.00	1	0.38	5	0.238	0.618
	कुल योग	**11**	**19.80**	**11**	**17.60**	**23**	**8.74**	**81**	**3.860**	**50.000**
										(कुल मो0 पचास लाख रु0 मात्र)

नोट - वित्तीय लक्ष्य को आवंटन नहीं समझें।

3/7/18

(पूजा सिंघल)
सरकार के सचिव